

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं०.- 4954 वर्ष 2026**

आर्यन मेहता

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से

.....प्रतिवादी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : आदर्श कुमार मौर्य, अजय कुमार शुक्ला,
रामाधार यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा. अधि.

न्यायालय सं०. - 16**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका प्रार्थी की ओर से मुकदमा अपराध सं०.0612 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादं० एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 6/10, थाना कोतवाली देहात, जिला-हरदोई में, दौरान विचारण उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था, और सह-आरोपी रौशन कुमार की गिरफ्तारी के बाद, उसके इकबालिया बयान के आधार पर प्रार्थी को फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह समझ से बाहर है कि प्रार्थी की जगह रौशन कुमार कैसे पेश हुए, क्योंकि प्रार्थी ने कभी भी रौशन कुमार को अपनी जगह पेश होने के लिए अधिकृत नहीं किया था। उन्होंने यह भी दलील दी कि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका निवेदन है कि प्रार्थी 3.06.2026 से कारावास में निरुद्ध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है जैसा कि जमानत याचिका के पैरा 16 में उल्लेख किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी कभी फरार नहीं होगा और मुकदमे की कार्यवाही में हमेशा सहयोग करेगा, इसलिए निवेदन है कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत याचिका का विरोध किया है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद यह पता चलता है कि प्रार्थी को घटना स्थल पर गिरफ्तार नहीं किया गया था, जबकि एक सह-आरोपी रौशन कुमार, जिसे घटना स्थल पर ही गिरफ्तार किया गया था, उसे पहले ही आपराधिक विविध जमानत याचिका सं०.2351 वर्ष 2024 के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। प्रार्थी 03.06.2026 से जेल में बंद है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति और दोषसिद्धि होने पर सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत का मामला मानता हूँ।

प्रार्थी- आर्यन मेहता उपरोक्त अपराध में शामिल को इस शर्त पर ज़मानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानती प्रस्तुत करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- (1) प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराना/ दबाव डालना या किसी अन्य तरीके से अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) प्रार्थी को यह शपथ-पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। उन्हें निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना, अनुपस्थित रहती है, तो विचारण न्यायालय अंतर्गत धारा 229-अ भा.द.सं. में उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।
- (3) प्रार्थी को तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के सामने (i) मुकदमे की शुरुवात में, (ii) आरोप तय करते समय (iii) धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज करते समय, स्वयं मौजूद रहना होगा।
- (4) यदि, प्रार्थी मुकदमे के दौरान जमानत का दुरुपयोग करती है तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्गत धारा 82 द.प्र.सं. में उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तब, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध, अंतर्गत धारा 174-अ भा.द.सं. में, विधि के प्रावधानों के अनुसार, कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित न्यायालय द्वारा जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा। यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो निचली अदालत जमानत रद्द करने और प्रार्थी को कारावास भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस जमानत याचिका के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का असर डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जून 30, 2026

एमकेएस

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।